न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 80/2023 बउनवानी मोहन लाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी 47 अग्रसेन कोलोनी कलेक्ट्रेट के पीछे सवाई माधोपुर

GCMS No-2023/164

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.01.2024	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.8.2023 एवं 6.10.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को प्रार्थी द्वारा अग्रसेन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण पैरामेडिकल इस्टीटयूट सवाईगंज मोड कुश्तला स0मा0 की शिकायत पर उनके आदेश कमांक 5770 दिनांक 20.4.2023 की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश कमांक 392–385 दिनांक 10.5.2023 द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार की सत्यप्रतिलिपि देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के जवाब नोटिस कमांक एफ.13(1)(65/80)सूकाअ/2023/2997 दिनांक 20.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.8.2023 मे चाही गयी सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 2645 दिनांक 6.9.2023 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित की जा जाकर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाने पर उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग सवाईमाधोपुर द्वारा अवगत कराया कि चाही गयी सूचना गोपनीय (जॉच से संबंधित) होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। जिला कार्यालय के विकास/संस्थापन अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 2872 दिनांक 7.11.2023 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है कि पत्र कमांक 392–395 दिनांक 10.5. 2023 संस्थापन/विकास अनुभाग से जारी नही हुआ हैं। इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.8.2023 एवं 6.10.2023 मे चाही गयी सूचना का संबंध जिला कार्यालय के विकास/संस्थापन अनुभाग से नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2872 दिनांक 7.11.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उक्त विवचन से स्पष्ट होता है कि [illegible] द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध उप निदेशक सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग से [illegible] इसलिए उक्त सूचना जिला कार्यालय से अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती [illegible] अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:08:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner